वाहन किराए पर लेने में ठेकेदारी व्यवस्था बदलने का फैसला

जयपुर@ पत्रिका. नगर निगम की गैराज शाखा में जल्द ही कोई भी व्यक्ति चौपहिया वाहन किराए पर दे सकेगा। इसमें टैक्सी नम्बर का वाहन होना जरूरी है। गैराज समिति के अध्यक्ष मान पंडित की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके पीछे गैराज शाखा को ठेकेदारों के चंगुल से बचाने का तर्क दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी ठेकेदार के जरिए ही वाहन किराए पर लिए जा रहे हैं। इसमें गिने-चुने ठेकेदारों के जरिए ही वाहन आते रहे हैं।

निगम अधिकारियों के मुताबिक जेडीए की तर्ज पर ही किसी भी व्यक्ति को वाहन किराए पर देने की छूट दी गई है। गैराज शाखा की ओर से स्वास्थ्य शाखा को वाहन उपलब्ध कराने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। बैठक में पार्षद महेंद्र अजमेरा, सर्वेश लोहीवाल, दीपक जैन, गोपाल कृष्ण शर्मा सहित कई समिति सदस्य उपस्थित थे।

यहां बदली व्यवस्था

उपायुक्त के जिम्मे रहने वाली जेटिंग व सीवरेज मशीनें अब जोन के अधिशासी अभियंता को दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि उपायुक्त के पास शिकायत आने पर गाड़ी जाती है तो सीवर लाइन को ढूंढ़ने के लिए अभियंता को ही बुलाया जाता है। इसलिए अभियंता के पास ही अगर मशीन होगी तो समस्या का हल जल्द होगा।

पत्रिका Thu, 13 August 2015
epaper.patrika.com/c/6196